

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
देवीपाटन मण्डल
शिक्षा भवन- फैजाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: शि0स0/ 3074-81 /2010-11 दिनांक: 26-9-11
विषय:- पायनियर पब्लिक स्कूल, बलरामपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में शासनादेश संख्या- 1916/15-7-09-2 (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 05.08.2011 के अनुसार एतदर्थ गठित समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
4. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
5. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायेंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
8. प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलाज में सम्मिलित किया जाय।

कमश: पेज-02 पर

(2)

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो शासनादेश संख्या: 1916/15-7-09-1 (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक/सदस्य सचिव

देवीपाटन मण्डल

शिक्षा भवन- फैजाबाद।

पृ0सं0: शि0स0/सी0बी0एस0ई0/

3074-81

/2011-12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव (मा0शि0) उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
4. शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बलरामपुर।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- ✓ 7. प्रबन्धक, पायनियर पब्लिक स्कूल, बलरामपुर।

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक/सदस्य सचिव

देवीपाटन मण्डल

शिक्षा भवन- फैजाबाद।

MANAGER
PIONEER PUBLIC SCHOOL
BALRAMPUR